

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रुकमणी

बनाम

श्रीमती नारायणी बाई

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

231/2022

2022/354

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती रुकमणी (रुकमबाई) पत्नी मागीलाल अहीर, श्री रमेशचन्द्र 510 मागीलाल अहीर, रतनीबाई पत्नी रमेशचन्द्र अहीर

निवासी- पुरोहितों का सावंता तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पुरोहितों का सावंता स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 64 रकबा 0.9200

एव. 360 मी. रकबा 0.3759

कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2959 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पुरोहितों का सावंता स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 64 रकबा 0.9200 एव. 360 मी. रकबा 0.3759

कुल कीता 2 रकबा 1.2959 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=00 रुपये अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम) (विश्वनोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)